## कार्यालय अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर



Ph. No/Fax No: - 01372 - 252122

E MaiL :- eepdgpr1@gmail.com

(N -30º 24.721', E- 79º 19.28')

पत्रांक — /2.43 / 23 एल.ए. सेवा में,

दिनांक—गोपेश्वर 💇 –०🕫 / 2018

प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग,

गोपेश्वर।

विषय :-

मा. मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत ल्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव

तक मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-महोदय,

भारत सरकार का पत्रांक दिः 12.01.2018।

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक कार्य FP/UK/ROAD/15018/2015 के वनभूमि

प्रस्तावों पर लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर निम्नप्रकार प्रेषित है :-

कम सं0	वन विभाग द्वारा लगायी गयी आपत्ति	आपित्ति का निराकरण
2	In reply to point No.1 details regarding employment likely to be generated during the construction of project is still appear incorrect, which may be reviewed/corrected.  In reply to point No. 3, though theattendance sheet of village level Committee (VLC) meeting proceedings for village Gadora and Mahergaon is uploaded but VLC meeting proceedings is still not provided.	Correction has been made in employment likely to be generated during the construction of project in point 1, Para-I  गडोरा एवं ल्वां गांव का अनापित प्रमाण पत्र संलग्न किया जा रहा है, तथा मेहरगांव ल्वां ग्रामसभा का तोक है। जिस कारण मेहरगांव के अनापित प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं हुई। उक्त प्रपत्र Additional Information में संलग्न है।
3	In reply to point No. 4, 132 trees proposed to be filled in the project has been provided in Part-II but list of 137 trees has been uploaded as additional information documents, which may be clarified.	पूर्व में पेड़ों की गणना भी 6.00 मी. चौड़ाई में की गयी, किन्तु बाद में मार्ग पर 7 मी. चौड़ाई में ही वृक्षों की गणना की गयी। संशोधित वृक्षों की सूची Additional Information में संलग्न है।
4	Originl hard copy of Part- III, IV & V is not submitted, which may be submitted.	Original or attested copy of Part-II, IV & V is uploading Additional Information. A soft copy is also attached.
अतः आएसे अनुरोध है कि आहे उत्तर से बलाए प्राप्त पर अधिक		

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने स्तर से वनभूमि प्रस्ताव पर अग्रिम

कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्न – सूचना।

> अधिशासी अभियन्ता प्रां खं. लो.नि.वि., गोपेश्वर

